# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :68 / प्रा0पत्र / 18 सन् 2018

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद ताहिर (RAS)

1. बृजमोहन आयु 61 वर्ष आ0 बजरंगदास जाति बैरागी निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. नन्द किशोर आ0 रामचन्द्र जाति सुनार निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. महावीर आ0 नन्द किशोर जाति सुनार निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
3. दीपू आ0 नन्द किशोर जाति सुनार निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
4. किशन आ0 नन्द किशोर जाति सुनार निवासी ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

वाद बाबत कब्जा प्राप्त करने भूमि
प्रार्थना पत्र जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नन्द सिंह सोलंकी
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री रामरतन सुमन

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

## –: आदेश :–

दिनांक – 04–09–2019

1. प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।
2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :– कृषि भुमि खसरा संख्या 3334 / 1169 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि है। अप्रार्थीगण बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर जबरन निर्माण करने पर आमादा है। उपरोक्त वर्णित भूमि के पूर्वी ओर अप्रार्थीगण का मकान स्थित है। अप्रार्थीगण अपने मकान के पश्चिम ओर प्रार्थी की भूमि की सीमा के भीतर अतिक्रमण करते हुये जबरन अपने मकान के पिछवाड़े मे

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with CamScanner

स्थित प्रार्थी के खाते की भूमि मे पत्थर डालकर नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्त मे प्रार्थना की गई कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कब्जा मुखालफना के आधार पर स्वयं को खातेदार मानते हुये निर्माण कार्य करने का निवेदन किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे निम्न 3 बिन्दू देखने होते हैं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के निम्नलिखित विवेचन व विश्लेषण अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है :—

(i) प्रथमदृष्टया मामला – प्रथमदृष्टया मामला साबित किये जाने के क्रम मे प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसमे वह कृषि भूमि खसरा संख्या 3334/1169 रकबा 6 बिस्वा का खातेदार दर्ज है। साथ ही मे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर किस हक व अधिकार के तहत कब्जा एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का अधिकार अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर बिना अधिकार के निर्माण कार्य करने व कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with CamScanner

(ii) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति – सुविधा की दृष्टिकोण से दोनो बिन्दुओं का विवेचन एवं विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि का खातेदार है जिस पर यदि अप्रार्थीगण के द्वारा जबरन निर्माण कार्य कर लिया गया एवं कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकार की भूमि के उपयोग उपभोग बाबत असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। भूमि की प्रकृति बदल जायेगी जिससे प्रार्थी को आर्थिक क्षति के साथ–साथ विधिक क्षति भी होगी। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति एवं असुविधा नहीं होगी। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त दोनो बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे तय किये जाते हैं।

5. उपरोक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे तय किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण कृषि भूमि खसरा संख्या 3334/1169 रकबा 6 बिस्वा ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है, पर जबरन कब्जा नहीं करें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त आदेश आज दिनांक 04–09–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner